रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 90] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 1985/फाल्गुन 2, 1906
No. 90] NEW DELHI, THURSDAY, FEB. 21, 1985/PHALGUNA 2, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1985

का. आ. 155 (अ) :—विकास परिषद् (कार्य-विधिक) नियमावली, 1952 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत

सरकार, श्री रामचन्द्र रथ, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के स्थान पर उक्त विकास परिषद् के अध्यक्ष के कार्यों को करने के लिए श्री वीरेन्द्र पाटिल, रसायन और उर्वरक मंत्री को नियुक्त करती है और इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के दिनांक 24 अगस्त, 1984 के आदेश सं. का. आ. 730(अ) के अनुबन्ध 1 के क्रमांक 1 में आवश्यक संशोधन करती है ।

[सं. 15022/22/83-के.-4]

श्यामल घोष, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

ORDER

New Delhi, the 19th February, 1985

S.O. 155(E).—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with rules 2, 4 and 5 of the Development Council (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints Shri Veerandra Patil, Minister of Chemicals and Fertilizers to carry on the functions of the Chairman of the said Development Council vice Shri Ramachandra Rath, Minister of State for Chemicals and Fertilizers and thereby makes the necessary amendment in S. No. 1 of Annexure 1 of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers No. S.O. 730(E) dated 24th August, 1984.

[No. 15022|22|83-Ch.IV]

SHYAMAL GHOSH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985